[2021] 7 एस. सी. आर 1123

जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय

वी.

महत्वपूर्ण शैक्षिक समाज और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6931)

नवंबर 18,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान संबद्धता अनुदान

-

क्या एक बार ए. आई. सी. टी. ई. ने अपनी मंजूरी दे दी थी, इसके लिए यह खुला नहीं था

संबद्ध विश्वविद्यालय अपनी संबद्धता के अनुदान की भविष्यवाणी करने के लिए

राज्य सरकार द्वारा एनओसी जारी करना-तथ्यों पर,

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जे. एन. टी. यू.) ने नए विश्वविद्यालय को संबद्धता देने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी।

मौजूदा संस्थानों में पाठ्यक्रम, जो पहले से ही सभी द्वारा अनुमोदित थे

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.)-उच्च न्यायालय

हालाँकि संबंधित संस्थानों को परामर्श के दूसरे दौर में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए-चुनौती -

आयोजित किया गयाः उस समय जब उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया

संबद्धता-इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी एन. ओ. सी. प्रदान की-संबद्धता की प्रक्रिया अभी बाकी है।

जे. एन. टी. यू. द्वारा पूरा किया जाना चाहिए-इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय को

विवादित अंतरिम निर्देश जारी नहीं किया है-इस तरह के एक जारी

विनियमों द्वारा विचार की गई प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही न्यायिक आदेश से छात्रों पर पूर्वाग्रह होने की संभावना है, अक्सर, एक अपरिवर्तनीय स्थिति में।

तरीके से, इस स्थिति में कि संबद्धता को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है

छात्रों के पक्ष में इक्विटी के निर्माण से गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं

बाद में, जब इस तरह के अंतरिम आदेश छात्रों के प्रवेश के लिए प्रेरित करते हैं

एक ऐसी संस्था को जिसे अंततः संबद्धता से वंचित किया जा सकता है-अब

कि राज्य सरकार ने अपनी एन. ओ. सी. प्रदान कर दी है, जे. एन. टी. यू. ने संबद्धता की प्रक्रिया का संचालन करने की इच्छा का संकेत दिया-एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद

संबद्धता पूर्ण है, उच्च न्यायालय को विधिवत रूप से अवगत कराया जा सकता है परिणाम, प्रत्येक संस्थान के संबंध में जिसके लिए आवेदन किया गया है

अनुमति-इस बीच, संबद्धता प्रक्रिया विनियमों के अंतिम परिणाम का पालन करने के लिए अंतरिम आदेशों पर रोक रहेगी।

जे. एन. टी. यू.-विनियम 5.5.6 और 6.1 को नियंत्रित करना।

[2021] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जया गोकुल एजुकेशन ट्रस्ट बनाम। आयुक्त और

तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य और एक अन्य (2000) 5 एस. सी. सी. 211 [2000] 2 एस. सी. आर. 1234; जवाहरलाल नेहरू

तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव बनाम. संगम लक्ष्मी बाई

विद्यापीठ और अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 729: [2018] 14

एससीआर 103; और ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी

विश्वविद्यालय और एक अन्य वी। जय भारत कॉलेज ऑफ

प्रबंधन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और अन्य

(2021) 2 एस. सी. सी. 564-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 2 एससीआर 1234

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[2018] 14 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2021) 2 एस. सी. सी. 564

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6931

2021 .

उच्च न्यायालय के 26.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 26590 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए।

के साथ

सिविल अपील सं। 6932-6942 , 6948-6952 2021 से। सी. एस. वैद्यनाथन सीनियर एड. , पी. वेंकट रेड्डी, रामचंद्र गौड़,

एम/एस के लिए धर्मेश, प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. अभिनव राव, तरुण रेड्डी, रावी

वेंकट योगेश, जी. तरुण रेड्डी, अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. तेलंगाना उच्च न्यायालय, अपने अंतरिम आदेशों द्वारा दिनांकित

5 अक्टूबर 2021,25 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर 2021 ने माना है कि जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्रवाई

1 “ जेएनटीयू "

जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय V. महत्वपूर्ण शैक्षिक समाज और ओआरएस।

केरल राज्य और अन्य 3. नतीजतन, उच्च न्यायालय ने जे. एन. टी. यू. को परामर्श के दूसरे चरण के दौरान संस्थानों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है जिससे छात्रों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सके। कई संस्थानों ने अन्य बातों के साथ-साथ इंजीनियरिंग के "उभरते क्षेत्रों" में या नए पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से अनुमति मांगी। ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी दी गई। 3. जे. एन. टी. यू. ने 8 सितंबर 2021 को तकनीकी शिक्षा आयुक्त को राज्य की मंजूरी के लिए एक पत्र भेजा।

2021-22 के लिए नए पाठ्यक्रमों को संबद्धता देने/स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वृद्धि के लिए सरकार। हालांकि, संचार में कहा गया है कि नई सीटों के लिए अंतिम संबद्धता/सीटों में वृद्धि बुनियादी ढांचे की पूर्ति और जे. एन. टी. यू. तथ्य खोज समिति द्वारा सत्यापित योग्य संकाय के अधीन होगी। 4. 11 सितंबर 2021 को, तकनीकी शिक्षा आयुक्त ने सचिव, उच्च शिक्षा (टी. ई.) विभाग को एक संदेश संबोधित किया जिसमें सरकार से मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश में नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित शुरुआत/भिन्नता के लिए संस्थानों के अनुरोध की जांच करने का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने 2021-22 से यू. जी. स्तर के पाठ्यक्रमों की पेशकश की थी।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं का एक समूह स्थापित किया गया था जिसमें चुनौती का प्रमुख आधार यह था कि एक बार ए. आई. सी. टी. ई. ने अपनी मंजूरी दे दी थी, यह संबद्ध विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा एन. ओ. सी. जारी करने पर अपनी संबद्धता के अनुदान का अनुमान लगाने के लिए खुला नहीं था। इस निवेदन ने अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के साथ विचार किया। उच्च न्यायालय का विचार था कि जया गोकुल शिक्षा न्यास (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय संस्थानों के तर्क का समर्थन करेगा। इसलिए, इसने अंतरिम निर्देश जारी किए जिन्हें पहले नोट किया जा चुका है। जे. एन. टी. यू. ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों पर सवाल उठाए हैं। 2 " ए. आई. सी. टी. ई. "3 (2000) 5 एस. सी. सी. 331 4" यू. जी ". [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. जे. एन. टी. यू. की ओर से यह निवेदन किया गया है कि जे. एन. टी. यू. के विनियम स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के लिए एक भूमिका पर विचार करते हैं और राज्य से एन. ओ. सी. मांगने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह संबंधित क्षेत्र की जरूरतों पर विधिवत विचार कर सके और क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम या, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त सेवन, राज्य की समग्र नीति के अनुरूप होगा। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि जया गोकुल एजुकेशन ट्रस्ट (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर बाद में कई निर्णयों में विचार किया गया है और इसे अलग किया गया है। राज्य की भूमिका का महत्व यह है कि

8. दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष जिस चुनौती को संबोधित किया गया था जे. एन. टी. यू. के आग्रह पर भविष्यवाणी की गई थी कि उसे एन. ओ. सी. प्राप्त करना होगा।

राज्य सरकार की संबद्धता की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि संस्थान संबद्धता प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जे. एन. टी. यू. के वैधानिक अधिकार पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, जे. एन. टी. यू. द्वारा अपने एन. ओ. सी. के लिए राज्य सरकार का सहारा लेना केंद्रीय कानून के विपरीत होगा जिसके द्वारा ए. आई. सी. टी. ई. शासित है।

9. शुरुआत में, जे. एन. टी. यू. को नियंत्रित करने वाले विनियमों के प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक है। विनियम 5.5,5.6 और 6.1 महत्वपूर्ण हैं।

विवाद पर असर डालते हुए और इसलिए, नीचे निकाले गए हैं:

" 5.5 मौजूदा कॉलेज/संस्थान को मंजूरी प्राप्त करने/ए. आई. सी. टी. ई. से मंजूरी की प्रतीक्षा करने के बाद, आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी।

राज्य सरकार से अनुमति। बाद में, कॉलेज/संस्थान जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण शैक्षिक समाज और ओआरएस।

वार्षिक रूप से शैक्षणिक वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन। कट-ऑफ तिथि के बाद संबद्धता प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता का अनुदान ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई./राज्य सरकार से अनुमोदन के अधीन है।

महाविद्यालयों की स्थापना और नए महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति

5.6

मौजूदा महाविद्यालयों में कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा -

राज्य की प्राथमिकता/नीति के अनुसार विश्वविद्यालय

सरकार, यदि कोई हो। अतः महाविद्यालय/संस्थान एक नया महाविद्यालय शुरू करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम/महाविद्यालय।
सेवन में वृद्धि के लिए एन. ओ. सी. जारी करने के लिए आवेदन

6.1

पाठ्यक्रम या महाविद्यालय/संस्थान को बंद करना/नाम में परिवर्तन/स्थल/स्थान में परिवर्तन या कोई अन्य मामला जहां

विश्वविद्यालय एन. ओ. सी. की आवश्यकता सोसायटी/प्रबंधन के प्रस्ताव के साथ होगी। इसके अलावा, एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने/प्रवेश में वृद्धि/स्थान परिवर्तन/मौजूदा कॉलेज/संस्थान के स्थान के लिए, राज्य सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

10. विनियमन 5.5 स्पष्ट रूप से आवश्यकता का प्रतीक है

किसी मौजूदा कॉलेज या संस्थान द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार की अनुमति या, जैसा भी मामला हो, ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी की प्रतीक्षा है। बाद में, संस्थान कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले जे. एन. टी. यू. द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है। विनियम 5.6 में कहा गया है कि महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा महाविद्यालयों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति पर जे. एन. टी. यू. द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकता/नीति के अनुसार विचार किया जाएगा और इसलिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी तरह, विनियम 6.1 राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना भी अनिवार्य बनाता है।

एक नया पाठ्यक्रम शुरू करना या, उस मामले के लिए, एक मौजूदा पाठ्यक्रम की सेवन क्षमता को बढ़ाना।

11. राज्य सरकार की भूमिका को दोहराया गया है

इस न्यायालय के कई निर्णय। वर्तमान स्तर पर, उन निर्णयों में से दो का हवाला देना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रूप से, जैसा कि हम ध्यान देंगे, जया गोकुल एजुकेशन ट्रस्ट (उपरोक्त) में पहले के निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्भरता रखी गई थी, उस संदर्भ में भी विचार किया गया है।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव

बनाम संगम लक्ष्मी बाई विद्यापीठ और अन्य 5, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने तेलंगाना शिक्षा अधिनियम 1982 की धारा 20 के प्रावधानों पर विचार किया, जिसके तहत नए पाठ्यक्रम खोलने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहाः

" 14. धारा 20 (1) के उपरोक्त प्रावधानों का एक नंगे पठन

यह स्पष्ट करता है कि सर्वेक्षण इस तरह से किया जाता है ताकि इलाके की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जा सके, निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा कि क्षेत्र में कितने संस्थान काम कर रहे हैं और क्या इसके लिए आगे कोई आवश्यकता है। मौजूदा कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थान/नए पाठ्यक्रम खोलना और धारा 20 (3) (ए) (आई) के तहत यह भी अनिवार्य है कि शैक्षणिक एजेंसी को प्राधिकरण को संतुष्ट करना होगा कि

इलाकाई लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को क्षेत्र में किसी संस्थान को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एन. ओ. सी. नहीं देना उचित हो सकता है।

धारा 20 में निहित प्रावधान हितकर हैं और

15 .

इसका उद्देश्य न केवल क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि संस्थानों/पाठ्यक्रमों के मशरूम विकास को भी रोकना है। यदि संस्थानों को प्रत्येक पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति दी जाती है जो शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर सकता है और अंततः घटिया शिक्षा का कारण बन सकता है। वहाँ

पहले से ही बड़ी संख्या में संस्थानों में अच्छी तरह से योग्य शिक्षकों की कमी है और हैदराबाद शहर में फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें संख्या में कमी के बावजूद हर साल खाली रहती हैं। ऐसा था।

छात्रों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिक्तियों को भरना संभव नहीं था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब हैदराबाद शहर में 30 संस्थान पहले से ही चल रहे हैं

फार्मेसी पाठ्यक्रम, एन. ओ. सी. देने से इनकार विश्वविद्यालय पूरी तरह से उचित था।

धारा 20 में निहित प्रावधानों के अलावा, जब

16 .

हम विनियम 5.2 और 5.3 पर विचार करते हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि एक नया कॉलेज तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

$ 5 (2019) 17 एस. सी. सी. 729 जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय v. महत्वपूर्ण शैक्षिक समाज और ओआरएस।

विश्वविद्यालय संबद्धता के साथ पहले ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई./किसी अन्य वैधानिक निकाय में आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय से एन. ओ. सी. लें। विनियम 5.3 में प्रावधान है कि मौजूदा कॉलेजों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकता/नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

एक अन्य बनाम जय भारत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और अन्य। उस निर्णय में, राज्य और संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निभाई गई भूमिका का महत्व फिर से बढ़ गया है

इस पर जोर दिया गया है और यह ध्यान दिया गया है कि यह राज्य सरकार के लिए एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से भी उच्च मानकों को निर्धारित करने के लिए खुला होगा। जया गोकुल एजुकेशन ट्रस्ट (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह ध्यान दिया गया है कि इसे बाद में अलग किया गया है। न्यायालय ने कहा कि ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों के आगमन के बाद,

अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदनों को ऑनलाइन आधार पर संसाधित किया जाता है

आत्म-प्रकटीकरण। इसलिए, विश्वविद्यालयों के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि वे सावधानीपूर्वक संबद्धता की प्रक्रिया का संचालन करें ताकि

यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का हित प्रभावित न हो।

14. इस पृष्ठभूमि में, उस समय जब उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश पारित किए थे, न तो राज्य ने अपनी एन. ओ. सी. दी थी और न ही जे. एन. टी. यू. ने संबद्धता दी थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, तेलंगाना सरकार के उच्च शिक्षा (टी. ई.) विभाग ने 1 नवंबर 2021 को अपनी एन. ओ. सी. प्रदान की है। जे. एन. टी. यू. द्वारा संबद्धता की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय को अंतरिम निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था ताकि संबंधित संस्थानों को परामर्श के दूसरे दौर में भाग लेने की अनुमति दी जा सके। विनियमों द्वारा विचार की गई प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस तरह का न्यायिक आदेश जारी करने से छात्रों पर पूर्वाग्रह होने की संभावना है, अक्सर, एक अपरिवर्तनीय स्थिति में।

जिस तरह से, उस स्थिति में जब संबद्धता को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है। अनुभव इंगित करता है कि छात्रों के पक्ष में इक्विटी के निर्माण से गंभीर स्थिति पैदा होती है 6 (2021) 2 एससीसी 564 [2021] 7 एस. सी. आर.

बाद में, जब उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों से छात्रों को किसी संस्थान में प्रवेश मिलता है जो अंततः हो सकता है

संबद्धता से इनकार किया। अंतरिम निर्देश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

15. चूंकि राज्य सरकार ने अपनी एन. ओ. सी. दी है, इसलिए जे. एन. टी. यू. ने

इसकी प्रस्तुतियों में संकेत दिया गया है, प्रक्रिया का संचालन करने की इच्छा

संबद्धता। श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि जे. एन. टी. यू. दस दिनों के भीतर संबद्धता की प्रक्रिया का संचालन करेगा।

16. एक बार संबद्धता की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय

प्रत्येक संस्थान के संबंध में परिणाम से विधिवत अवगत कराया जा सकता है जो अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस बीच, संबद्धता प्रक्रिया के अंतिम परिणाम का पालन करने के लिए अंतरिम आदेश पर रोक रहेगी।

17. हम तदनुसार निम्नलिखित के संदर्भ में अपीलों का निपटारा करते हैं।

दिशा निर्देशः

((i)

चूंकि तेलंगाना राज्य ने 1 को अपनी एनओसी प्रदान की है।

नवंबर 2021 में, जे. एन. टी. यू. की प्रक्रिया पूरी होगी

दस दिनों की अवधि के भीतर अपने नियमों के अनुसार सख्ती से संबद्धता;

((ख)

जे. एन. टी. यू. द्वारा संबद्धता की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, नियत समय के बाद

संबंधित संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का सत्यापन और निरीक्षण, तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जाएगा जिसमें संकेत दिया जाएगा कि

प्रक्रिया का परिणाम;

(iii)

जब तक ऊपर (ii) में बताए गए कदम पूरे नहीं हो जाते, तब तक अंतरिम

उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक बनी रहेगी।

और

((iv) संबद्धता प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर,

उच्च न्यायालय इस मामले को उठाने और ऐसे आगे के निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा जो माना जा सके

आवश्यक है।

18. हम स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया है या

द्वारा निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन के लिए निर्देश

अनुमोदन, संबद्धता और प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. प्रवेश पूरा करने की अंतिम तिथि के संबंध में ए. आई. सी. टी. ई. की सभी आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय V. महत्वपूर्ण शैक्षिक समाज और ओआरएस।

19. हम संबद्ध के निर्णय के आधार पर प्रत्येक संस्थान के मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को खुला छोड़ते हैं।

विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय अनुपालन संस्थानों के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

याचि

काओं का निपटारा किया गया

बिभूति भूषण बोस